

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

चौथी मंजिल, एन. सी. यू. आई. भवन, ३, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली - ११००१६, दूरभाष - ०११ - ४९५३६४९६, ४९०९२९७८

Warehousing Development and Regulatory Authority
Government of India

NCUI Building (4th Floor), 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

भांडागार रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण प्रमाणपत्र

WAREHOUSE REGISTRATION or RENEWAL CERTIFICATE

(भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 4 के तहत)

(Under section 4 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007)

प्रमाणपत्र सं. - 6818280

18/12/2023 से 17/12/2028 तक मान्य

Registration Number - 6818280

Valid from 18/12/2023 to 17/12/2028

- भांडागारपाल का नाम - (कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, व्यक्तिगत, जैसा लागू हो) / Name of the warehouseman - (Company, Partnership Firm, Society, Trust, Individual, as applicable): Chhattisgarh State Warehousing Corporation
- भांडागार का पता/ Address of the warehouse : CGSWC, KAWARDHA (Dabrabhath), Rabeli road, Dabarabhatha, , Kabeerdham, CHHATTISGARH - 491995
- भांडागारपाल पहचान संख्या / Warehouseman Identification Number- 6077689
- गोदामों/भांडारण इकाइयों की संख्या (यदि एक से अधिक हो तो) / Number of godowns/ storage units (if more than one)

CATEGORY OF WAREHOUSE - AGRI

गोदाम/भांडारण इकाई का प्रकार/ Type of Godowns/ Storage units	गोदामों/भांडारण इकाइयों की संख्या / No. of Godowns/ Storage units
कृषि- पारंपरिक / Agri- Conventional	3
कुल / Total	3

- भांडागार की पंजीकृत क्षमता / Registered capacity of the warehouse

CATEGORY OF WAREHOUSE - AGRI

गोदाम/भांडारण इकाई का प्रकार / Type of Godowns/ Storage units	क्षमता (मीट्रिक टन में) / Capacity (in MT)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) / Area (in Square Metre)
कृषि- पारंपरिक / Agri- Conventional	6264	2652
कुल / Total	6264	2652

For Conditions of Registration, please turnover leaf....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of Authorised officer

प्राधिकारी की मुद्रा / Seal of the Authority

6. पंजीकरण की शर्तें:**Conditions of registration**

a. भंडागारपाल भंडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों के साथ-साथ समय-समय पर डब्ल्यूडीआरए द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश या आवश्यकताओं के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए सहमत है।

The warehouseman agrees to comply with all the requirements under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 and all rules and regulations made thereunder, as well as any guidelines or requirements issued by WDRA from time to time.

b. माल जिसके लिए परक्राम्य वेयरहाउस रसीदें जारी करने के उद्देश्य से पंजीकरण प्रदान किया जाता है

Goods for which registration is granted for the purpose of issuing Negotiable Warehouse Receipts -

(1) Wheat (2) Rice (3) Indian Sugar (4) Parboiled Milled Common (Coarse)Rice

c. पंजीकरण का प्रमाण पत्र उपरोक्त वस्तुओं के लिए 18/12/2023 से 17/12/2028 तक और केवल इस प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर मान्य है।

The certificate of registration is valid from 18/12/2023 to 17/12/2028 for the aforementioned goods, and only at the location specified in this certificate.

d. पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र भंडागारपाल के इस अभ्यावेदन के आधार पर प्रदान किया जाता है कि पंजीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य और सही है। यदि कोई जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है तो प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

This certificate of registration is granted based on the representation of the warehouseman that the information submitted in the application for registration is true and correct. The certificate may be suspended or cancelled if any information is found to be incorrect or untrue.

e. पंजीकरण हस्तांतरणीय नहीं होगा।

The registration shall not be transferable

f. प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों/परिपत्रों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

The certificate of registration shall be liable to be suspended or cancelled in accordance with the procedure laid out by the Authority for violation of provisions of the Act, rules, regulations, notifications and guidelines/circulars issued by the Authority.

g. यदि निलंबित या रद्द किया जाता है, तो प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र को वापस लेने या अभ्यर्पण की मांग करेगा, और भंडागारपाल प्राधिकरण द्वारा निरसन या आत्मसमर्पण के संबंध में निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता के अनुपालन में कार्य करेगा।

If suspended or cancelled, the Authority shall revoke or demand surrender of the certificate of registration, and the warehouseman shall act in compliance of any requirements specified by the Authority regarding revocation or surrender.

दिनांक / Date: 18/12/2023

स्थान / Place: New Delhi

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of Authorised officer

प्राधिकारी की मुद्रा / Seal of the Authority

Note: - This is a computer generated communication hence no signature is required.

Get Certificate On Registered Mail